**बिहार सरकार**
**निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग**

# अधिसूचना

**पटना, दिनांक–..............................................**

श्री राज कुमार चौधरी, निरीक्षक उत्पाद, भोजपुर को अवैध शराब के निर्माण, चौर्य बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण रखने में विफलता एवं कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही आदि आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

02. निलंबन अवधि में श्री चौधरी का मुख्यालय अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, पूर्णियाँ निर्धारित किया जाता है।

03. निलंबन अवधि में श्री चौधरी को अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
14/12/2012
**( विजय रंजन )**
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 9/आरोप (राज.) (उ.)–2–38/2012– 263/SC /, पटना, दिनांक–14/12/2012
प्रतिलिपि– 01. संबंधित सभी समाहर्त्ता/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02. सहायक आयुक्त उत्पाद, भोजपुर/अधीक्षक उत्पाद, पूर्णियाँ/श्री राज कुमार चौधरी, निरीक्षक उत्पाद, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सहायक आयुक्त उत्पाद, भोजपुर को निदेश दिया जाता है कि श्री चौधरी के विरूद्ध प्रपत्र–'क' में आरोप–पत्र गठित कर साक्ष्य सहित 15 दिनों के अंदर विभाग को प्रेषित करें।

03. माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद के निजी सहायक/विभागीय सभी पदाधिकारी (उत्पाद)/प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा–9 एवं 3)/प्रभारी सहायक, राजपत्रित स्थापना/प्रभारी सहायक, राजपत्रित आरोप को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/12/2012
**( विजय रंजन )**
सरकार के उप सचिव।